



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042023-245135
CG-DL-E-12042023-245135

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]
No. 226]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2023/चैत्र 22, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023/CHAITRA 22, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 287(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानसिक रोग अस्पताल कांके, रांची (वर्ग 3 और वर्ग 4 पदों की भर्ती) भर्ती नियम, 1959 को, जहां तक उनका संबंध प्रधान लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में प्रधान लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, प्रधान लिपिक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता:** वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रधान लिपिक	3*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक, भंडारी, लेखाकार	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में सम्मिलित होंगे:	लागू नहीं होता।

		और रोकड़िया जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रशासन और वित्तीय मामलों में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान या समान सरकारी संस्थान से दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा संबंधित श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के आधार पर तैयार की जाएगी। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	1. निदेशक, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची - अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य; 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में सम्मिलित होंगे: 1. निदेशक, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची - अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य; 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य।	
--	--	--	--	--

[फा. सं. ए-12018/63/2017-एमई]

विशाल चौहान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2023

G.S.R. 287(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Hospital for Mental Diseases Ranchi (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1959, in so far as they relate to the post of Head Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Clerk in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Head Clerk (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Head Clerk.	3* (2023) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400).	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probatio, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	By promotion	Promotion: Upper Division Clerk, Store Keeper, Accountant and Cashier in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -	Not applicable.

		years regular service in the grade and having successfully completed training of two weeks in administration and finance matters from Institute of Secretariat Training and Management or similar Government institutes. Note 1: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	1. Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Chairman; 2. Chief Medical Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Member; 3. Chief Administrative Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi –Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Chairman; 2. Chief Medical Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Member; 3. Chief Administrative Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi –Member.	
--	--	---	--	--

[F. No. A.12018/63/2017-ME]

VISHAL CHAUHAN, Jt. Secy.